<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>दिनांक 20.09.2020</u>

<u>गैंगस्टर में वांछित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी टिंकू को अवैध असलहा मय कारतूस सहित थाना अहमदगढ़ पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी शिकारपुर श्री गोपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण आज दिनांक 20.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक अहमदगढ़ श्री जयवीर सिंह मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना डिबाई से गैंगस्टर में वांछित 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी कहीं जाने की फिराक में पहासू रोड़ से कस्बा अहमदगढ़ की तरफ आ रहा है जिसके पास अवैध असलहा भी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अहमदगढ़ श्री जयवीर सिंह मय पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये स्थान कस्बा अहमदगढ़ पहासू रोड़ पर पहुँचकर घेराबन्दी कर अभियुक्त टिंकू को एक अवैध तंमचे मय कारतूस सहित समय करीब प्रातः 06.20 बजे गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-</u>

1- टिंकू पुत्र भूरा निवासी ग्राम मुरादपुर थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त टिंकू शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा संगठित गैंग बनाकर चोरी आदि घटनाएं कारित कर आर्थिक लाभ अर्जित करने के आशय से अपराध करने में सक्रिय रहने पर थाना डिबाई पुलिस द्वारा मुअसं-257/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किया गया था। इस अभियोग में अभियुक्त टिंकू वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त टिंकू के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी आदि संगीन अपराधों के निम्न अभियोग पंजीकृत हैं-

<u>अभियुक्त टिंकू का आपराधिक इतिहास-</u>

1- मुअसं-14/19 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
2- मुअसं-450/19 धारा 379,411,420 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं-55/20 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
4- मुअसं-56/20 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
5- मुअसं-71/20 धारा 379,411 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
6- मुअसं-257/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर। **(वांछित)**
7- मुअसं-213/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त टिंकू की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अहमदगढ पर मुअसं-213/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम</u>-

1. श्री जयवीर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अहमदगढ़
2. उ0नि0 नीरज थाना अहमदगढ़
3. है0का0 रविन्द्र, का0 अमरदीप तोमर, का0 अमित कुमार।